

तारीख हुकम

सरदार सिंह बनाम नैक सिंह वगैरे
हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थना पत्र

रु.न - 284/2012

किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि होना नहीं पाये जाने पर निगरानी सारहीन पाए जाने से खारिज की जा चुकी है। निगरानी खारिज हो जाने पर मूल पत्रावली वापिस इस न्यायालय को भिजवाई गई है। प्रकरण में पुनः सुनवाई पर किये जाने हेतु पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर पेश हुई। प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई हेतु अदालती नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 06.04.2021 को पेश हो।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

06.04.2021

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय

पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकूलाय उभय पक्षकारान् ने अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र मुकदमा संख्या

354/2012 उक्तानी सरदार सिंह बनाम नैक सिंह

निर्णय दिनांक 25.11.2019 को वादीगण द्वारा

करवा लिये जाने पर न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या

वादपत्र को विद्वा से खारिज हो जाने से इस

पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने पर

औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र

निषेधाज्ञा इसी क्रम पर खारिज की जा

ए। पत्रावली केवल शुमार चक्र

लक्ष्मीकान्त गुप्ता द्वारा चक्र



(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)